



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03092025-265933
CG-MH-E-03092025-265933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]
No. 602]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2025/भाद्र 11, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2025/BHADRA 11, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 1 सितम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/259.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा धारा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में,-

(1) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (यथ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(यथ) “जनता” का अर्थ है:

- (i) अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट), उसके प्रायोजक (स्पॉन्सर), निवेश प्रबंधक या प्रोजेक्ट मैनेजर (परियोजना प्रबंधक) के संबंधित पक्ष (संबद्ध पक्षकार / रिलेटेड पार्टी) को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति; या
 - (ii) बोर्ड द्वारा यदि किसी दूसरे व्यक्ति का जिक्र किया गया हो, उस व्यक्ति को छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति: परंतु यह कि जिस व्यक्ति का जिक्र ऊपर किया गया है, यदि उसने किसी प्रस्ताव (ऑफर) के अंतर्गत क्वालीफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर (अर्हित संस्थागत क्रेता) के नाते निवेश भी किया हुआ हो, तो वह इन विनियमों के प्रयोजनार्थ “जनता” की श्रेणी में आएगा:
- परंतु यह और कि इन विनियमों के प्रयोजनार्थ इनविट का प्रायोजक (स्पॉन्सर), प्रायोजक समूह, निवेश प्रबंधक और प्रोजेक्ट मैनेजर “जनता” की श्रेणी में नहीं आएंगे।”

(2) विनियम 10 में, उप-विनियम (18) में,

- (क) खंड (क) में, चिह्नों, शब्दों तथा अंकों “, जिनमें उसके द्वारा प्राप्त समस्त निधियों (फंड्स) और किये गये समस्त भुगतानों की रसीदें, इन विनियमों के अनुपालन, विनिर्दिष्ट रूप से विनियम 18, 19 तथा 20 के अनुपालन, संबंधी स्थिति, कार्य-निष्पादन संबंधी रिपोर्ट, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति सम्मिलित है, ऐसी तिमाही की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर” के स्थान पर चिह्न, शब्द तथा अंक “[उसको मिले समस्त पैसों (फंड) और उसके द्वारा किए गए समस्त भुगतानों की रसीदों, इन विनियमों (रेग्यूलेशन) के पालन की स्थिति (खासकर विनियम 18, 19 तथा 20 के पालन की स्थिति), कार्य-निष्पादन (परफॉर्मेंस) संबंधी रिपोर्ट, निर्माणाधीन परियोजनाओं (अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट) की स्थिति के साथ], उतने समय के भीतर जो बोर्ड द्वारा तिमाही वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया जाए” आ जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में,

- (i) शब्द “इन विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित” हट जाएंगे;
- (ii) शब्दों “मूल्यांकन रिपोर्टों” के बाद दिए हुए चिह्न “;” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;

(ग) खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 21 के उप-विनियम (4), उप-विनियम (5) और उप-विनियम (5क) में जिन मूल्यांकन रिपोर्टों (वैल्यूशन रिपोर्ट) का जिक्र किया गया है, वे रिपोर्टें ट्रस्टी (न्यासी) के पास उसी समय प्रस्तुत की जाएंगी, जब वे रिपोर्टें विनियम 21 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंज) के पास प्रस्तुत की जाएँ।”

(3) विनियम 10 में, उप-विनियम (24) में, शब्दों तथा चिह्न “के समक्ष,” के बाद दिए हुए शब्दों “प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “उतने समय के भीतर जो बोर्ड द्वारा तिमाही वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित किया जाए,” आ जाएंगे;

(4) विनियम 14 में,

(क) उप-विनियम (1क) के बाद,

(i) पहला परंतुक हट जाएगा;

(ii) दूसरे परंतुक में, शब्दों "परंतु यह" के बाद और शब्दों "कि कोई सूचीबद्ध" से पहले दिया हुआ शब्द "और" हट जाएगा;

(ख) उप-विनियम (2) में,

(i) खंड (ग) में, शब्दों "किसी निवेशक से" के बाद दिए हुए शब्दों "न्यूनतम एक करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "कम से कम पच्चीस लाख रुपये" आ जाएँगे;

(ii) खंड (ग) में, शब्द तथा चिह्न "उपरोक्त के होते हुए भी, यदि ऐसा निजी स्थानन वाली (प्राइवेटली प्लेस्ड) अवसंरचना निवेश न्यास, तैयार तथा आमदनी-जनित करने वाली आस्तियों (असेट्स) में, अवसंरचना निवेश न्यास की आस्तियों के मूल्य के कम से कम अस्सी प्रतिशत का निवेश करता है या निवेश करने का प्रस्ताव करता है, तो किसी निवेशक की ओर से किया जाने वाला न्यूनतम निवेश पच्चीस करोड़ रुपये का होगा;" हट जाएँगे;

(5) विनियम 18 में, उप-विनियम (6) में, खंड (खक) में,

(क) उप-खंड (i) में, शब्दों "अवसंरचना निवेश न्यास को किया जाएगा" के बाद दिए हुए चिह्न तथा शब्द "; और" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

(ख) उप-खंड (i) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि यदि नियंत्री कंपनी (होलिंग / धारिता कंपनी) के पास कुल-मिलाकर धनराशि बाँटे जाने के लिए कोई रकम ही न बचती हो बल्कि देनदारी बनती हो (उसका नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो नेगेटिव हो), तो ऐसे में नियंत्री कंपनी देनदारी की रकम अपनी अंडरलाइंग एसपीवी से आने वाले पैसे (होने वाले कैश फ्लो) में से अदा कर सकेगी, बशर्ते कि वह इस संबंध में यूनिटधारकों को जरूरी जानकारी उसी तरह से दे जैसा बोर्ड बताए।"

(6) विनियम 21 में,

(क) उप-विनियम (4) के बाद, दिए हुए परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक आ जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि ऐसा पूर्ण मूल्यांकन (वैल्यूएशन) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार किया जाएगा, और निवेश प्रबंधक द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ प्रस्तुत की जाएगी।"

(ख) उप-विनियम (5) में,

(i) शब्दों, चिह्न तथा अंक "सार्वजनिक रूप से प्रस्तावित अवसंरचना निवेश न्यास हेतु, पिछले छह महीनों में हुए किन्हीं मूल परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए, 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही हेतु किया जायेगा" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "इनविट (अवसंरचना निवेश न्यास) [जिसका पब्लिक ऑफर (सार्वजनिक प्रस्ताव) लाया गया हो] हेतु, 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही तक की स्थिति के अनुसार किया जाएगा ताकि पिछले छह महीनों के दौरान हुए किन्हीं बड़े बदलावों की जानकारी भी शामिल की जा सके," आ जाएँगे;

- (ii) शब्दों "ऐसी छमाही की समाप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर तैयार की जायेगी" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "निवेश प्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली तिमाही के तिमाही वित्तीय परिणामों के साथ प्रस्तुत की जाएगी" आ जाएँगे;

(ग) उप-विनियम (5) के बाद दिया हुआ परंतुक हट जाएगा।

(घ) उप-विनियम (5) के बाद और उप-विनियम (6) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम (5क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(5क) यदि इन विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, इनविट के समेकित (कन्सॉलिडेटेड) उधार (लिए गए उधार) और बाद में किए जाने वाले भुगतान (आस्थगित भुगतान / डेफर्ड पेमेंट) उनचास प्रतिशत से अधिक हो जाएँ, तो ऐसे में इनविट के असेट्स (आस्तियों) का तिमाही मूल्यांकन मूल्यांकक (वैल्यूअर) द्वारा जून, सितम्बर और दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के अंत तक की स्थिति के अनुसार किया जाएगा ताकि पिछली तिमाही के बाद हुए किन्हीं बड़े बदलावों की जानकारी भी शामिल की जा सके, और ऐसी तिमाही मूल्यांकन रिपोर्ट निवेश प्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास संबंधित तिमाही के तिमाही वित्तीय परिणामों के साथ प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह कि उस इनविट के लिए 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली तिमाही की तिमाही मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना तब जरूरी नहीं होगा, जब वह इनविट इस विनियम के उप-विनियम (5) के अनुसार 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही के अंत तक की स्थिति के अनुसार छमाही मूल्यांकन प्रस्तुत कर चुका हो।"

(ङ) उप-विनियम (6) में, शब्द तथा चिह्न "जायेंगी।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "जाएँगी:" आ जाएँगे;

(च) उप-विनियम (6) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि इस विनियम के उप-विनियम (4), उप-विनियम (5) और उप-विनियम (5क) में जिन मूल्यांकन रिपोर्टों का जिक्र है, वे रिपोर्टें इन उप-विनियमों में बताई गई समय-सीमाओं के भीतर प्रस्तुत की जाएँगी।"

(7) विनियम 23 में,

(क) उप-विनियम (4) में,

(i) शब्दों तथा चिह्नों "निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर)" से पहले शब्द तथा चिह्न "जिस इनविट का पब्लिक ऑफर (सार्वजनिक प्रस्ताव) लाया गया हो, उसका" जोड़े जाएँगे;

(ii) शब्दों तथा चिह्न "नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज को," के बाद दिए हुए अंक तथा शब्दों "30 सितम्बर को समाप्त होने वाली छमाही की समाप्ति से पैंतालीस दिनों के भीतर" के स्थान पर अंक, शब्द तथा चिह्न "30 सितम्बर को समाप्त होने वाली तिमाही के तिमाही वित्तीय परिणामों के साथ-साथ" आ जाएँगे;

(ख) उप-विनियम (4) के बाद दिया हुआ परंतुक हट जाएगा;

(ग) उप-विनियम (4) के बाद और उप-विनियम (5) से पहले, निम्नलिखित उप-विनियम (4क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(4क) यदि विनियम 20 के अनुसार, इनविट के समेकित (कन्सोलिडेटेड) उधार (लिए गए उधार) और बाद में किए जाने वाले भुगतान (आस्थगित भुगतान / डेफर्ड पेमेंट) उनचास प्रतिशत से अधिक हो जाएँ, तो ऐसे में उस इनविट का निवेश प्रबंधक तिमाही रिपोर्ट नामनिर्दिष्ट स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास जून, सितम्बर और दिसम्बर को समाप्त होने वाली तिमाहियों के तिमाही वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत करेगा।"

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./335/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577, द्वारा 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 तत्पश्चात् -
 - क) 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा
 - ख) 6 मार्च, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038, द्वारा
 - ग) 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा
 - घ) 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा
 - ङ) 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा
 - च) 2 मार्च, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05, द्वारा
 - छ) 17 अप्रैल 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
 - ज) 16 जून, 2020 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/15, द्वारा
 - झ) 30 जुलाई, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/27, द्वारा
 - ञ) 3 अगस्त, 2021 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

- ट) 4 मई, 2022 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/83, द्वारा
- ठ) 1 जनवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/101, द्वारा
- ड) 14 फरवरी, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023-122, द्वारा
- ढ) 4 जुलाई, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा
- ण) 16 अगस्त, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/145, द्वारा
- त) 18 अगस्त, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा
- थ) 23 अक्तूबर, 2023 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/159, द्वारा
- द) 27 मई, 2024 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/182, द्वारा
- ध) 13 जुलाई, 2024 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/192, द्वारा
- न) 27 सितम्बर, 2024 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/207, द्वारा
- प) 10 फरवरी, 2025 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक चार्टर) (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/228, द्वारा
- फ) 2 अप्रैल, 2025 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/240, द्वारा
- ब) 28 अप्रैल, 2025 से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/243, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st September, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS)
(THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/259.—In exercise of the powers conferred under Section 30 read with Sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2025.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, –

- (1) in regulation 2, in sub-regulation (1), clause (zq) shall be substituted with the following, namely, –

“(zq) “public” means any person other than:

- (i) the related party of the InvIT, its sponsor, investment manager or project manager; or
- (ii) any other person as may be specified by the Board:

Provided that a person specified above, who is also a qualified institutional buyer in an offer, shall be considered as “public” for the purpose of these regulations:

Provided further that the sponsor, sponsor group, investment manager and project manager of the InvIT shall not be considered as “public” for the purpose of these regulations.”

- (2) in regulation 10, in sub-regulation (18),

- (a) in clause (a), after the words “status of development of under-construction projects, within”, the words “thirty days of end of such quarter” shall be substituted with the words “such time as may be specified by the Board for submission of quarterly financial results”;

- (b) in clause (b),

- (i) the words “as required under these regulations” shall be omitted;
- (ii) after the words “from the valuer”, the symbol “;” shall be substituted with the symbol “.”;

- (c) after clause (b), following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that the valuation reports specified under sub-regulation (4), sub-regulation (5), and sub-regulation (5A) of regulation 21 of these regulations shall be submitted to the trustee simultaneously at the time of submission of such reports to the stock exchange(s) under regulation 21.”;

- (3) in regulation 10, in sub-regulation (24), after the words “at least once every quarter within”, the words “thirty days of end of every quarter” shall be substituted with the words “such time as may be specified by the Board for submission of quarterly financial results”;

- (4) in regulation 14,

- (a) after sub-regulation (1A),

- (i) the first proviso shall be omitted;
- (ii) in the second proviso, after the word “provided” and before the words “that any listed InvIT which has”, the word “further” shall be omitted;

- (b) in sub-regulation (2),

- (i) in clause (c), after the words “from any investor of rupees”, the words “one crore” shall be substituted with the words “twenty five lakhs”;
- (ii) after clause (c), the words and symbols “Notwithstanding the above, if such an privately placed InvIT invests or proposes to invest not less than eighty per cent of the value of the InvIT assets, in completed and revenue generating assets, the minimum investment from an investor shall be rupees twenty five crore;” shall be omitted;

- (5) in regulation 18, in sub-regulation (6), in clause (ba),
- (a) in sub-clause (i), after the words “shall be distributed to the InvIT”, the word and symbol “; and” shall be substituted with the symbol “:.”;
 - (b) after sub-clause (i), the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that if the net distributable cash flow generated by the holdco on its own is negative; the holdco may adjust it against the cash flows received from its underlying SPVs provided that it makes appropriate disclosures in this regard to the unitholders in such form and manner as may be specified by the Board.”;
- (6) in regulation 21,
- (a) after sub-regulation (4), the proviso shall be substituted with the following, namely, –

“Provided that such full valuation shall be conducted as at the end of the financial year ending March 31st and the valuation report shall be submitted by the investment manager to the designated stock exchange(s) along with the annual financial results.”;
 - (b) in sub-regulation (5),
 - (i) after the words “conducted by the valuer” and before the words “the half-year ending September”, the word “for” shall be substituted with the words “as at the end of”;
 - (ii) the words “prepared within one month from the date of end of such half year” shall be substituted with the words “submitted by the investment manager to the designated stock exchange(s) along with the quarterly financial results for the quarter ending September 30th.”;
 - (c) after sub-regulation (5), the proviso shall be omitted.
 - (d) after sub-regulation (5) and before sub-regulation (6), the following shall be inserted as sub-regulation (5A), namely, –

“(5A) If the consolidated borrowings and deferred payments of an InvIT, in terms of regulation 20 of these regulations, exceeds forty nine per cent.; a quarterly valuation of the assets of InvIT shall be conducted by the valuer as at the end of the quarters ending June, September and December for incorporating any key changes from the previous quarter and such quarterly valuation report shall be submitted by the investment manager to the designated stock exchange(s) along with the quarterly financial results of the corresponding quarter:

Provided that InvIT shall not be required to submit the quarterly valuation report for the quarter ending on September 30th if such InvIT has submitted half yearly valuation in terms of sub-regulation (5) of this regulation as at the end of half year ending September 30th.”;
 - (e) in sub-regulation (6), after the words “from the receipt of such valuation reports”, the symbol “.” shall be substituted with “:.”;
 - (f) after sub-regulation (6), the following proviso shall be inserted, namely, –

“Provided that the valuation reports specified under sub-regulation (4), sub-regulation (5), and sub-regulation (5A) of this regulation shall be submitted within the timelines as specified in these sub-regulations.”;
- (7) in regulation 23,
- (a) in sub-regulation (4),
 - (i) after the words “The investment manager of” and before the words “shall submit a half-yearly report”, the words “publicly offered InvIT” shall be inserted;
 - (ii) after the words “to the designated stock exchange”, the words and symbol “within forty five days from the end of half year ending September 30th.” shall be substituted with the words and symbol “along with the quarterly financial results for the quarter ending September 30th.”;
 - (b) after regulation (4), the proviso shall be omitted;
 - (c) after sub-regulation (4) and before sub-regulation (5), the following shall be inserted as sub-regulation (4A), namely, –

“(4A) The investment manager of an InvIT shall submit a quarterly report to the designated stock exchange(s) along with the quarterly financial statements for the quarters ending June, September and December if the consolidated borrowings and deferred payments of such InvIT, in terms of regulation 20, is above forty nine per cent.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./335/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.
2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the –
 - a) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016.
 - b) Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38, with effect from March 6, 2017.
 - c) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.
 - d) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.
 - e) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.
 - f) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05, with effect from March 02, 2020.
 - g) Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10, with effect from April 17, 2020.
 - h) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/15, with effect from June 16, 2020.
 - i) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/27, with effect from July 30, 2021.
 - j) Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30, with effect from August 3, 2021.
 - k) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/83, with effect from May 4, 2022.
 - l) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/101 with effect from January 1, 2023.
 - m) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/122 with effect from February 14, 2023.
 - n) Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137 with effect from July 4, 2023.
 - o) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/145 with effect from August 16, 2023.

- p) Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146 with effect from August 18, 2023.
- q) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/159 with effect from October 23, 2023.
- r) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/182 with effect from May 27, 2024.
- s) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/192 with effect from July 13, 2024.
- t) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/207 with effect from September 27, 2024.
- u) Securities and Exchange Board of India (Investor Charter) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification F No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/228 with effect from February 10, 2025.
- v) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/240 with effect from April 2, 2025.
- w) Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Second Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/243 with effect from April 28, 2025.